वाणिज्यक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462001

क्रमांक ए–2–83 / 99 / विक / पांच भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2001

प्रति,

1/ समस्त जिला पंजीयक (पंजीयक)

2/ समस्त उप–पंजीयक (पंजीयन)

मध्यप्रदेश

विषयः सिटीजन चार्टर–पुनरीक्षित निर्देश।

––0––

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि नागरिकों के दैनिक जीवन से सरोकार रखने वाले विभिन्न विभागों की गतिविधियों के संबंध में प्राप्त होने वाले नागरिकों के आवेदनों / मांग पर निर्धारित समय–सीमा में समुचित निर्णय लिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित तालिका के कालम–2 में वर्णित कार्य / गतिविधि / योजनाओं का कालम 3 मे बताए गए अधिकारियों द्वारा कालम 4 में बताई गई समय सीमा में लिया जाए। समय–सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं होने की स्थिति में समय पर निराकरण के लिए कालम 5 में दर्शाए गए अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। इस शिकायत के निराकरण के कालम 6 में समय निर्धारित की गई है –

प्रपत्र–अ

क्र.	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है, उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
	2	3	4	5	6
	पंजीयन हेतु प्रस्तुत	उप–पंजीयक	अधिकतम प्रस्तुततिकरण दिनांक से अगले	जिला पंजीयक	15 दिन

	दस्तावेज की वापसी अ) जब संपत्ति का स्थल निरीक्षण नहीं किया जाना हो।		दिन		
	ब) जब संपत्ति का स्थल निरीक्षण किया जाना हो।	उप–पंजीयक	प्रस्तुतीकरण दिनांक से सात दिवस	जिला पंजीयक	15 दिन
	दस्तावेजों का नकल प्रदाय करना	उप–पंजीयक	आवेदन प्रस्तुतिकरण दिनांक से अगले दिन	जिला पंजीयक	15 दिन
	भारमुक्त प्रमाण–पत्र	उप–पंजीयक	एक माह	जिला पंजीयक	15 दिन

2/ सिटीजन चार्टर के तहत् वर्णित विभिन्न प्रकार के आवेदनों को यदि विहित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर निराकरण नहीं किया जाता और न ही अपीलकर्ता की अपील पर संबंधित अधिकारी द्वारा समय–सीमा में कार्यवाही नहीं की जाती है, तब ऐसी स्थिति में आम नागरिक राज्य शासन को ई–मेल पर अथवा सीधे आवेदन कर सकते हैं।

3/ सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

(1) सिटीजन चार्टर के अनुसार सेवाऐं प्रदान किए जाने के संबंध में समय सीमा दर्शाते हुए प्रत्येक कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया जाए।

(2) इस व्यवस्था के तहत् परिशिष्ट “अ” में बताये गये विषय पर संबंधित कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर विहित/प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवेदनों का सकारातमक रूप से निर्धारित समय सीमा में निराकरण

किया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि केवल तकनीकी आधार पर आवेदन निरस्त नहीं किया जाये।

(3) सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर विहित अधिकारी द्वारा तुरन्त आवेदक को आवेदन–पत्र प्राप्ति की पावती दी जाये, जिसमें आवेदन पत्र में पायी गई कमियाँ, निराकरण की समय–सीमा तथा समय–सीमा में कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है, उसके पद नाम का उल्लेख किया जाये (पावती का प्रारूप संलग्न–परिशिष्ट “ब”)

(4) आवेदन–पत्र प्राप्त होने तथा उसके निराकरण की प्रविष्टि रजिस्टर में की ज5ाए ताकि कभी भी यह ज्ञात किया जा सके कि कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने आवेदनों का निराकरण किया गया तथा कितने आवेदन–पत्र निराकरण हेतु शेष हैं।

4/ सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत यदि आवेदक को निर्धारित समय–सीमा में जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनातमक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5. सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन ठीक तरह से हो, इसके लिये आवश्यक है कि कार्यालय के सभी अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को सिटीजन चार्टर की धारण, उद्देश्य एवं व्यवस्था का ज्ञान हो। इसकी पूर्ति के लिये कृपया सभी अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को इन निर्देशों के बारे में एक बैठक आयोजित कर प्रशिक्षित करें और समय–समय पर आवश्यक समझाइश दें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए।

(मनोज कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/ए–2–83/99/विक/पांच भोपाल दिनांक 24 जुलाई 2001

प्रतिलिपि :

1/ राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
2/ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
3/ सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभाग, भोपाल

4/ महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ एवं अधीनस्थ कार्यालयों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिये।

5/ निज सचिव, मान. मंत्री जी, वित्त एवं वाणिज्यिक कर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग,
मध्यप्रदेश